न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 405/16 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थी :– हनुमानराम पुत्र जगराम जाति विश्नोई
निवासी रोहिला पश्चिम, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1.रामलाल 2.हरलाल 3.जगराम पि.ठाकराराम
4.करनाराम 5.धर्माराम 6.सुरताराम पि. फूलाराम
जाति विश्नोई, निवासी रोहिला पश्चिम
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
7.प्रबन्धक एसबीबीजे धोरीमन्ना।
8.तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थी :– श्री मोहनलाल खिलेरी

निर्णय

दिनांक 11.06.18

प्रार्थी हनुमानराम पुत्र जगराम जाति विश्नोई, निवासी रोहिला पश्चिम, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त जोत मौजा रोहिला तहसील सेड़वा के खसरा सं. 179 रकबा 47.10 बीघा भूमि पर आने जाने हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 6 के खसरा सं. 366/180 रकबा 09.15 बीघा में से चल रही डामर सड़क तक रास्ता चाहिए। जिस हेतु आवेदन पेंश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार सेड़वा को उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प सेड़वा में पेश हुई।

सहायक कलक्टर चौहटन

उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान ने तहसीलदार सेड़वा से आपसी सहमति से मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण निःशुल्क रास्ता देने हेतु सहमत है। इस हेतु उभयपक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	366/180	09.15	बा.दो.	26.4 फीट	00.03	रोहिला	रामलाल, हरलाल, जगराम पि.ठाकरा, करनाराम धर्माराम, सुरताराम पि. फूलाराम, कौम विश्नोई, सा. देह खातेदार। रहन एसबीबीजे धोरीमन्ना।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 366/180 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में हरा रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से

सहायक कलक्टर चौहटन

प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। चूंकि पक्षकारों में आपसी सहमति हो गई है तथा प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को निःशुल्क रास्ता देने हेतु तैयार है। इसलिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस हरा रंग से दर्शाया गया 26.4 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
2. प्रार्थी को उक्त चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
3. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 26.4 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को लोक अदालत /कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे । निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/1411 दिनांक 15/6/18

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 405/16 अनवान हनुमान बनाम रामलाल वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.06.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 405/16 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 11.06.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

संलग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

नक्शा किश्तवार (आंशिक) ग्राम- रोहिला

उत्तर

पैमाना:- १" = ८० गज

तहसील- सेड़वा

संकेत — प्रस्तावित रास्ता हेतु भूमि 0-03 बीघा

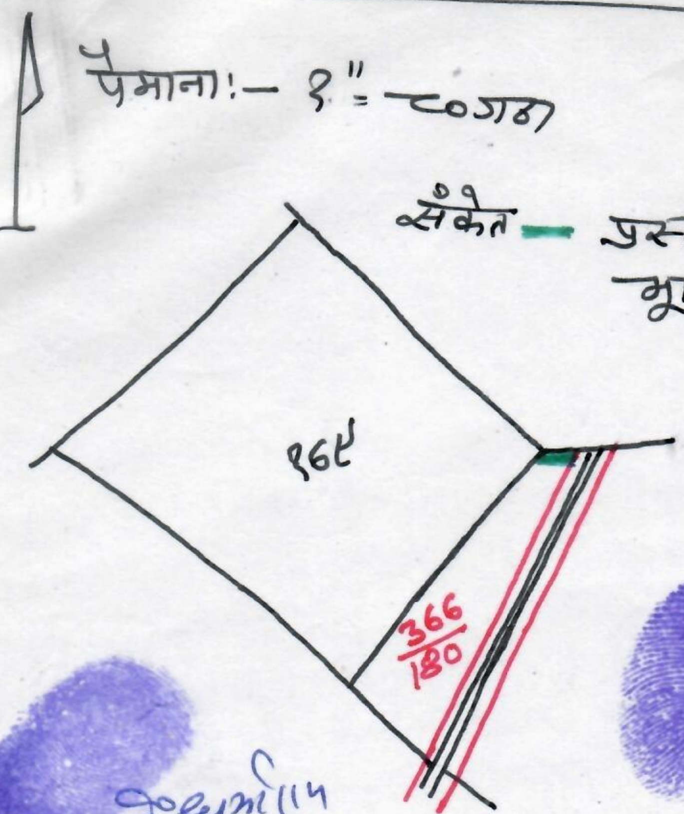

नि० रामेलाल

नि० हजलाल

सहायक कलेक्टर धोरीमना

नि० धर्माराम

सत्य-प्रतिलिपि — राजकार्य हेतु निःशुल्क नकल जारी।

सुरताराम

नि० जगराम

प० सोनड़ी

(राजेश कुमार)

नि० डूंगराराम

नि० रामजीवन

नि० लूणी

नि० कलुआराम

श्री कुम्भाराम (हरूआराम)

नि० कैलाश

नि० कानाराम

भजन लाल

चम्पालाल

नि० हरचन्दराम

3/3/18

ILR सोनड़ी

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

मौका फर्द - दिनांक 3-5-2018 पेज नं० 1

आज दिनांक 3-5-2018 को श्रीमान तहसीलदार साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक/LR/2018/ दिनांक 3-5-2018 की पालना मे एवं श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व आवेदन सं० 405/16 अनवान हनुमानाराम बनाम रामलाल वगैरा अन्तर्गत धारा रा० का० अधि० की धारा 251 ए मे मौका जांच हेतु मौके पर पहुंच्या। मौके पर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की उपस्थिति मे ग्राम रोहिला के ख० नं० 366/180 रकबा 9-15 बीघा बान्दोयम मे से ख० नं० 179 के खातेदारान द्वारा आवागमन हेतु सड़क से अपने खेत तक रास्ता चाहा गया है। चाहे गये रास्ता की भूमि पर कोई कीमती वृक्ष, मकान एवं टांका आदि बना हुआ नही है मौके पर भूमि खाली है। ख० नं० 179 तक आने जाने हेतु पक्की सड़क तक इससे कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नही है प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण उक्त रास्ता हेतु सहमत है। आपसी सहमति से रास्ता के विवाद को निपटाना चाहते है। उक्त रास्ता के काम आने वाली भूमि को विप्रार्थीगण निःशुल्क देना चाहते है।

Court
[signature]
सहायक कलक्टर
चौहटन

क्र०सं०	खातेदार का नाम	ख० नं०	रकबा (बीघा)	रास्ते की चौड़ाई फीटों	रास्ते मे समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल (बीघा)	DLC दर	रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामलाल, हरलाल, जगराम पि० ठाकरा, करनाराम, धर्माराम, सुरताराम पि० फूलाराम कौम विश्नोई सा० देह खातेदार रहन सम्पूर्ण हि० SBBJ धाकड़ा धोरीमन्ना	366/180	9-15	26-4	0-03			बान्दो०

[signature] [signature]
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
ILR सेड़वा

(पेज नं० 2 पर)

प्रार्थी एवं विपक्षीगण के कब्जे फर्द तैयार कर उपस्थित के हस्ताक्षर एवं अंगूठे करवाये। प्रार्थी एवं विपक्षीगण ने आपकी सहमति से करान रास्ता देने हेतु निःशुल्क (बिना कीमत) दिये जाने की इच्छा जाहिर की जिसमे प्रार्थी एवं विपक्षीगण ने बिना कीमत लिये रास्ता देने की सहमति जताई।

फर्द मौके पर तैयार कर उपस्थित के हस्ताक्षर एवं अंगूठे करवाये।

3/5/2018

ILR सोनड़ी

सुरताराम

नि० जगाराम

नि० रामजीवन

हनुमानाराम

नि० बेलाराम

करनाराम

भजन लाल

नि० कालाराम

चम्पालाल

नि० कालुराम माता

नि० हरचन्दराम

नि० हलील

नि० धर्माराम

नि० रामलाल

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा